SHRI FAZLUR RAHMAN: The question of land army does not arise...

SHRI AMRIT NAHATA: The symbol of Emergency tyranny should be converted into a symbol of creation.

SHRI FAZLUR RAHMAN: The question of land army does not arise. The reclamation work is already going on there.

डा० सुशीला नायर : अध्यक्ष महोदय, मैं कल ही चम्बल घाटी में थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस वक्त वहां पर कितना काम हो रहा है। तीन प्रकार का काम करना तय हुआ था एक तो जो बहुत गहरी घाटियां, खंदें हैं, जमीन है, वहां पर पेड़ लगाना फोरेस्टेशन करना होगा, जो मीडियम घाटियां हैं वहां पर बांध बांधकर सिल्ट इकट्ठा कर के उनको भरा जायेगा और जो मामूली घाटियां हैं ऊंची नीची जमीन है, उनमें बुलडोजर चलाकर उनको समतल किया जायेगा। इस वक्त यूथ कैम्प लगाकर केवल 100 एकड़ जमीन को रिक्लेम करने के लिये थोड़ा सा कार्य बांध बांधने का किया जा रहा है। इस प्रकार से काम करने से तो सदियों लग जायगी और यह काम पूरा नहीं होगा। मैं जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना है कि 5-7 वर्ष के अन्दर इस कार्य को पूरा किया जाये और उसके लिये जो भी मशीनरी नियुक्त करने की आवश्यकता हो वह तीन स्टेट से मिल कर की जाये, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह इलाका आता है। ऐसी कोई योजना है क्या ?

श्री फखरुद्दीन रहमान : मुझे तो यह पता नहीं कि माननीय सदस्या कब वहां थीं, मगर मैं यह बताऊं कि जितनी बातों का इन्होंने जिक्र किया है कि गहरी जमीन को बुलडोजर से बराबर करेंगे, उसमें फोरेस्टेशन किया जायेगा, यह तमाम चीजें स्कीम के अन्दर हैं। इसके बारे में वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूछें तो सब पता लग जायेगा।

Undertrial Prisoners

*518. SHRIMATI PARVATI DEVI:
SHRI CHATURBHUJ:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that even now a large number of undertrials are in illegal detention in a number of jails in various States;

(b) whether a conference of Chief Secretaries to discuss the ways and means to reduce the number of undertrials has since been held, and if so, their decisions; and

(c) what other steps Government propose to take to set free or release on bail these undertrials?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The number of undertrial prisoners in some States is substantial. Since they are remanded to custody in jails under orders of courts of competent jurisdiction, it would not be correct to describe their detention as illegal. Several State Governments have already initiated review of cases of these undertrials in accordance with the provisions of law and the broad guidelines indicated by the Supreme Court in the course of Orders passed by it on writ petitions to release certain undertrials. The Central Government are most anxious to evolve, in consultation with States, arrangements which would prevent unduly long detention of any person in jail as an undertrial and generally secure expeditious trial of criminal cases. A conference of Chief Secretaries to consider the problem in all its aspects is being convened on 9th April.

श्रीमती पार्वती देवी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि विचाराधीन बन्दी गैर कानूनी रूप से बन्द नहीं है, क्योंकि न्यायलय के आदेशों से उन्हें हिरासत में भेजा जाता है। किन्तु क्या यह सच नहीं है कि जिन अपराधों की सजा इतनी नहीं है, फिर भी वे वर्षों तक जेल में बन्द रहते हैं? इतने लम्बे समय तक उन्हें बन्दी के रूप में रखने के क्या कारण हैं? ऐसी कौन सी व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनके मामलों पर शीघ्र विचार किया जा सके? यदि उच्चतम न्यायलय में इस बारे में रिट याचिका न आती, तो क्या सरकार इस सवाल पर कुछ नहीं करती? इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जेलों में हिरासत में रखने पर सरकार ने अब तक क्या नहीं विचार किया?

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, जो लोग जेल में हैं और अंडर ट्रायल प्रिजनर्ज हैं, उनकी डिटेंशन को इल्लीगल नहीं कहा जा सकता है। उत्तर में यही कहा गया है, क्योंकि वे लोग किसी न किसी कोर्ट के आदेश से जेल में हैं। (व्यवधान) अगर माननीय सदस्य पूरी बात सुन लेंगे तो उन्हें संतोष हो जायेगा।

माननीय सदस्या ने कहा है कि ऐसे बहुत से अंडर ट्रायल प्रिजनर्ज जेल में हैं जिनकी गिरफ्तारी अगर साबित हो गई होती, और सजा मिल गई होती, तो उनको जितनी सजा मिलती, वे उससे अधिक समय तक के लिए जेलों में हैं। यह बात सही है। श्रीमती हिंगोरानी कुछ रिट पेटीशन्ज के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में गई थीं और उस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे प्रमाणित हो गया है कि जेलों में ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्ज हैं, उनकी ट्रायल के बाद उन्हें जो सजा मिली होती, वे उससे अधिक समय तक के लिए जेल में हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य पूरी बात तो सुन लें। इसको इम्मारल कहा जा सकता है, लेकिन इललीगल नहीं कहा जा सकता है। माननीय सदस्या ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट या कुछ माननीय नागरिकों ने देश का ध्यान इस ओर दिलाया है मगर सरकार इस बारे में क्या कर रही थी। सरकार पहले से ही इस पर विचार कर रही थी कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्ज बहुत लम्बे समय से जेलों में हैं वे वहां नहीं रहने चाहिए। यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर ध्यान दिलाया है। अब गृह मंत्री ने इस विषय पर, और एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक कान्फरेंस बुलाई है, जिससे इस तरह की स्थिति समाप्त कर दी जाये।

श्रीमती पार्वती देवी क्या सरकार विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ायेंगी अथवा समाज कल्याण संस्थाओं के आश्वासन पर उन्हें रिहा कर देगी? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जब तक कोई विचाराधीन कैदी जेल में है, क्या उस अवधि के लिए सरकार उसके परिवार को मासिक निर्वाह भत्ता देगी, ताकि वे लोग सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें।

श्री धनिक लाल मंडल अध्यक्ष महोदय, 50 से ऊपर कोर्ट्स बनाने के लिए सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन ने अनुशंसा की है और उसके लिए पैसे भी दिए हैं। 24 करोड़ रुपये के लगभग उन्होंने राज्यों का मंजूर किया है।

जहां तक माननीय सदस्या की दूसरी बात का ताल्लुक है कि सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशंस और दूसरी जो इस तरह की आर्गेनाइजेशंस हैं उनको ऐसे कामों में एसोशिएट किया जाय, तो यह भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस पर भी सरकार विचार कर रही है। .... (व्यवधान) ....

श्रीमती सहिष्णा पी० रांगनेकर : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दिया है, कम्पेन्सेशन मिलेगा या नहीं?

श्री धनिक लाल मंडल : नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर जो सभा पटल पर रखा है उसके अन्दर भी कहीं स्पष्ट नहीं है और सदस्य महोदय ने जो सप्लीमेंट्री प्रश्न किया, सारा सदन इस बात को देख रहा है कि उनको संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। इस उत्तर के अन्दर इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शी निर्देश अदालतों को दिए है लेकिन उत्तर में यह कहीं भी नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मार्गदर्शी निर्देश अधीनस्थ अदालतों को दिए है, न रिपोर्ट के अन्दर यह बताया है कि जिन नीचे की अदालतों ने नियमानुसार उन को जेल कर रखा है उन की जो ट्रायल चल रही है, वह किस स्टेज पर है, कितने दिनों से यह ट्रायल चल रही है। जब हमारे देश के अन्दर इंडियन पीनल कोड है, तो उसके बाहर भी यदि आपने उन को बन्दी बनाया है तो उसके ऐसे कौन से कारण है और जब उनको बन्दी बनाया गया था तो उन के परिवार के पालन-पोषण के लिए आप ने अभी तक क्यों नहीं इंतजाम किया ?

श्री धनिक लाल मण्डल : सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं . . . (**व्यवधान**) . . . नहीं चाहिए तो वह मैं छोड़ देता हूं लेकिन माननीय सदस्य जानना चाहते थे इसलिए मैं बता रहा था। दूसरी बात जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, ये जो अन्दर ट्रायल प्रिजनर्स बड़ी संख्या में हैं, उस के कई कारण हैं। एक यह भी है कि अभी तक बहुत से मामलों में चार्जशीट नहीं दाखिल की गई है। दूसरे, बहुत सी कोर्टस में चार्जशीट दाखिल भी हो गई है लेकिन ट्रायल लम्बा हो रहा है। तो कई कारण है। लेकिन यह जो वह कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग जेल में हैं उनके परिवार के लिए सरकार क्या कर रही है तो सरकार के सामने उनके परिवार को चलाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

SHRI RINCHING KHANDU KHRIME: In view of the Supreme Court's decision to release the undertrial prisoners who have been under custody for more than two year, will the hon Minister please let me krow—

(a) What is the Government thinking to rehabilitate them so long as cases are not decided finally by the court?

(b) It has been agreed that these undertrial prisoners are some of the bad elements of society. With the release of these prisoners, how are you going to control the law and order problem in the country?

श्री धनिक लाल मंडल : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह नहीं है कि उन के परिवार के लिए या उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? मूल प्रश्न यह है कि जल्दी से जल्दी इन की ट्रायल हो जाय। यह प्रश्न है। या जब तक ट्रायल नहीं होती है तो जो गरीब लोग है, उन की बेल की व्यवस्था हो जाय। यह मूल प्रश्न है। बेल के बारे में और एक्सपीडिशस ट्रायल के बारे में हम लोग कंमन्ड है और मैं ने कहा कि 9 अप्रैल को होम मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरीज को बैठक बुलायी है। उसमें इन्हीं दो बातों पर हम लोग विचार करेंगे कि बेल लोगों को मिल जाय और जो गरीब लोग है जो श्योरिटीज नहीं दे सकते है जिसकी वजह से वह बेल नहीं ले पाते है और उस को नहीं अवेल कर पाते है, उसको कैसे किया जाय और ट्रायल एक्सपीडिशस हो जाय, पुलिस चार्जशीट समय पर दे दे। ये मूल प्रश्न है, इन्हीं पर विचार किया जायेगा।

MR. SPEAKER: It is a very serious matter. You must give it due consideration.

We can take it up in the Home Ministry's Demands for Grants

Reservation of controlled Cloth for N.T.C. Mills

*520. SHRI S R DAMANI Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have reserved certain qualities of controlled cloth for N T C Mills exclusively

(b) if so, the details thereof and

(c) what is the basis for fixing prices of the controlled cloth?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) (a) and (b) Yes, Sir A quantum of 50 million square meters of controlled cloth per quarter has been reserved to be manufactured by the mills under the National Textile Corporation out of the total quantity of 100 million square meters of controlled cloth. Out of the remaining 50 million square meters to be manufactured by the private sector mills on tender basis, the shortfall if any in tender procurement is also to be reallotted to the N T C Mills

(c) Prices for controlled cloth are based on certain formula prescribed for costs of production (known as multiplier rates) for each variety/ construction as per the control order of the Government Consumer prices have not, however, been changed for some time even though the actual cost of production is higher than the consumer price.

SHRI S. R DAMANI May I know from the hon Minister the quantity that has been purchased in the last three quarters i e. July to September, October to December, 78 and January to March, 1979 and how much of it has been purchased from NTC mills, how much from private sector and how much from the handloom sector?

SHRI GEORGE FERNANDES: This question relates to production of controlled cloth by NTC mills and other sectors. It does not relate to purchase of cloth. The cloth is marketed through various agencies particularly the cooperative sector and all the quantity that is produced is marketed We have, in fact, no surplus of controlled coth with us.

SHRI S R DAMANI The hon. Minister has said that priority will be given to produce controlled cloth through handloom sector What long term steps have been taken by the hon Minister so that handloom sector can produce more quantities of controlled cloth?

SIIRI GEORGE FERNANDES· We are producing 100 million square meters of controlled cloth. This quantity is produced in the organised sector Half of this quantity has been reserved to be produced by the NTC mills and other half is tendered. What we found is that the private sector is not particularly keen on producing controlled cloth because they belive that rates are not adequate for them In the circumstances, the NTC has been producing a part of that controlled cloth which also is tendered. During tendering it is found that the rates quoted by the private sector mills are more than the rates at which the NTC is prepared to do that work. Therefore, under the new scheme since the NTC took over this responsibility, from October to December, 1978, out of the total quantity of 100 million square meters of controlled cloth, the NTC took the responsibility of producing 83.19 million square meters while the private sector produced 16.81 million square meters. Therefore, the production of controlled cloth is currently done by the organised sector.

As far as handloom sector is concerned, they are producing janata cloth. We are giving them certain subsidy to produce this janata cloth.